बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग—१ कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि ३० जुलाई, १९७३ ई०।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या : ५१, ७१ एवं ७२ ...	१—१०
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : ६, ४५७, १०९५-११०० एवं ११३१	१०—२८
परिशिष्ट -१—ता० प्र० सं० ६ से सम्बन्धित सूची ...	२९—४०
परिशिष्ट २ (प्रश्नोत्तर के लिखित उत्तर)	४१—८०
दैनिक निबंध :	८१—८२

टिप्पणी :—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है।

परिशिष्ट—२

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ८९ (३) के अन्तर्गत सभा-मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर :

सेवा आयु की वृद्धि।

१०५। श्री अजित कुमार बनर्जी—क्या मंत्री, कार्मिक विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा आयु ५५ वर्ष न रह कर ५८ वर्ष ही रहेगी, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कब तक विज्ञप्ति निकालना चाहती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या विगत मंत्रिमण्डल के जीवन काल में ऐसा निर्णय लिया गया था कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा आयु ५५ वर्ष से बढ़ाकर पुन: ५८ वर्ष कर दी जाय, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्त्तमान मंत्रिमंडल कौन सी कारंवाई करना चाहती है ?

श्री अब्दुल गफूर—(१) प्रश्न सम्प्रति सरकार के विचाराधीन है।

(२) उत्तर नकारात्मक है।

जप्ती का औचित्य।

१०६। श्री कृष्ण प्रताप सिंह—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(१) क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत दरौली थाना के आरक्षी अधिकारियों ने भू० पू० विधायक श्री रामायण शुक्ल ग्राम करदहां के घर पर १४ जून, ७३ को संध्या पांच बजे अकारण सशस्त्र पुलिस की सहायता से सारे समान उठा ले गये, ;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री शुक्ल जो उस इलाके के एक लब्धप्रतिष्ठ एवं पुराने कार्यकर्त्ता हैं एवं १९४२ के आंदोलन में इनका घर जलाया गया था ;

(३) यदि खंड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उनके घर से कौन-कौन सा सामान पुलिस द्वारा उठाकर लिया गया एवं इस जप्ती का क्या कारण है ?

(१) रामायण शुक्ल के पुत्र मदन शुक्ल हरमिढ्ढी थाना मोतिहारी अभियोग संख्या: १० (१२) ७२ धारा ३०७।३९७ भा०द०वि० एवं २७ आर्म्स एक्ट के अभियुक्त हैं। उस मोकदमा में अभियुक्त हैं। उस मोकदमा में अभियुक्त के विरुद्ध धारा८७।८८ दं०प्र० सं० के अन्तर्गत कुर्की जप्ती का वारंट अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान द्वारा पुष्टीकरण के बाद दरौली थाना में प्राप्त हुआ था। उक्त जप्ती कुर्की का तामिला दिनांक-१४-७-७३ को दरौली थाना के सहायक अवर निरीक्षक ने किया।

(२) श्री रामायण शुक्ल दरौली क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक हैं। १९५२ के आन्दोलन में उनका घर जलाये जाने के सम्बन्ध में अभी प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

(३) खंड १ में उल्लिखित मोकदमा के सिलसिले में समान की कुर्की जप्ती हुई है। निम्नलिखित सामान जप्त किये गये हैं:—

(१) बैल-१-जोड़ा (२) गाय-१ (३) बाछा-१ (४) पम्पिंग सेट-१ (५) कुर्सी लोहा-२ (६) खटीया-२ (७) बाल्टी-१(८) लोटा-पीतल-१ (९) ग्लासपीतल-१ (१०) छिपली पीतल-१ (११) थाली पीतल-१ (१२) वटुली पीतल-१ (१३) कलछु पीतल-१ (१४)-सीलोट-१ (१५) कटोरी-१ (१६) फसूल-१ (१७) हर लोह का-१(१८) टीन की पेटी-२(१९) मारकीन के कपड़ा-१० गज (२०) बिछावन का चादर-१(२१) खादी का चादर-१(२२) पुरानाचादर-२ (२३) सुयटर काला रंग-१ (२४) खाकी रंग का पुराना सुयेटर-१ (२५) साया का कपड़ा-२ गज (२६) पैजामा पुराना-१(२७) पुराना बन्डी-१ (२८) कोरदार साड़ी-१ (२९) साड़ी खादी का-१ (३०) काठ का बड़ा बक्सा-१ (३१) तराजू-१ (३२) केवाड़ का पल्ला-२ (३३) ओखर-१ (३४) मुसर-२ (३५) छोटा चौकी-१ (३६) हसुआ-१ (३७) चारा-मशीन-१।

पुलिस पर कार्रवाई।

१०७। श्री सुरेश कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(१) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर प्रखंड के कल्याण-